भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2790
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कर्नाटक में सुपारी बोर्ड की स्थापना

2790. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते कर्नाटक द्वारा इसको 5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है जिसका उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान है और सुपारी के पौधे की खेती तटीय, मुख्य भूभाग/ अर्ध-मुख्य भूभाग और हाल ही में राज्य के सूखे और मैदानी क्षेत्रों में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सुपारी के उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने, सुपारी के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए सुपारी के आयात को विनियमित करने और फलों की सड़न, पीली पत्ती रोग और फसल की जड़ क्षय को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का बिहार के मखाना बोर्ड की तर्ज पर सुपारी के प्रसंस्करण, विपणन, विकास, मूल्य संवर्धन और मूल्य विनियमन हेतु कर्नाटक में सुपारी बोर्ड की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सम्पूर्ण देश में कार्यशील फसल विशिष्ट बोर्डों और इनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों, मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): अंतिम अनुमान 2023-24 के अनुसार, देश में 9.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 14.11 लाख मीट्रिक टन कुल उत्पादन में से कर्नाटक 6.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 10 लाख मीट्रिक टन सुपारी उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है। देश में सुपारी के आयात को 100% के आयात शुल्क और हाल ही में संशोधित न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) 251 रुपये प्रति किलोग्राम से 351 रुपये प्रति किलोग्राम के माध्यम से सीमित किया जा रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), अपने क्षेत्रीय गठन और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के साथ मिलकर अवैध सुपारी आयात की संभावना वाले क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखता है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) आयात खेपों को मंजूरी देने से पहले कड़े गुणवत्ता मानकों को लागू करता है। इसके अलावा, राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम), कर्नाटक को 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की नियमित गतिविधियों के अलावा उनके प्रस्ताव के अनुसार सुपारी में रोगों के प्रबंधन के

लिए बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत 37.00 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा) की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, हालांकि कई सरकारी एजेंसियां जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई), कासरगोड, केरल स्थित अपने क्षेत्रीय स्टेशन विट्टल (कर्नाटक), कायमकुलम (केरल) और कहिकुची (असम), किडू (कर्नाटक) और मोहितनगर (पश्चिम बंगाल) स्थित अनुसंधान केंद्रों के साथ-साथ शिवमोग्गा (कर्नाटक) स्थित केलाडी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय का सुपारी अनुसंधान केंद्र सुपारी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास में शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी), कालीकट, आईसीएआर-सीपीसीआरआई के सहयोग से अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है, ताकि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके तथा एमआईडीएच योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। मौजूदा संस्थागत तंत्र इस फसल के अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करते है।

(ङ): देश भर में कार्यरत फसल विशिष्ट बोर्डों का विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

अनुलग्नक

क्र. सं.	का नाम बोर्ड	मंत्रालय	अधिदेश/ भूमिकाएं	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय
1.	चाय बोर्ड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	चाय बोर्ड के कार्यों और जिम्मेदारियों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, चाय की गुणवत्ता में सुधार करना, बाजार संवर्धन, बागान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय और अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना शामिल हैं। सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए सांख्यिकीय जानकारी का संग्रह, मिलान और प्रसार करना।	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	असम के जोरहाट में पूर्वोत्तर क्षेत्र का जोनल कार्यालय तमिलनाडु के कुन्नूर में स्थित जोनल कार्यालय अन्य क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, नई दिल्ली, सिलीगुड़ी, मुंबई, कोच्चि, कोयंबटूर,
2.	कॉफ़ी बोर्ड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाह्य एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।	बेंगलुरु, कर्नाटक	बोर्ड के पास बालेहोन्नूर (कर्नाटक) में एक केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान है जिसका एक उप-स्टेशन चेट्टाल्ली में है तथा चुंडाले, थांडीगुडी, नरसीपटनम और दीफू में क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान स्टेशन हैं, इसके अतिरिक्त कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र

					के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में विस्तार इकाइयां भी स्थित हैं।
3.	रबर बोर्ड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	बोर्ड, रबर से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता और प्रोत्साहन देकर देश में रबर उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है। यह, रबर के सांख्यिकीय डेटा का रख-रखाव करता है, रबर के विपणन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता है और श्रम कल्याण गतिविधियों को कार्यान्वित करता है।	कोट्टयम, केरल	मार्थांडोम, तिरुवनंतपुरम, नेदुमंगद, पुनालुर, कोट्टारक्कारा, अदूर, पथानामथिट्टा, चंगनाचेरी, कांजीराप्पल्ली, पाला, एराट्टुपेट्टा, थोडुपुझा, मुवत्तुपुझा, त्रिशूर, पलक्कड़, मन्नारक्कड़, नीलांबुर, मंजेरी, कोझिकोड, थालास्सेरी, तालिपरम्बा, श्रीकांतपुरम, कन्हानगढ़, कासरगोड, मैंगलोर, पुत्तूर, कुंडापुरा, शिवमोग्गा, सावंतवाडी, बारीपदा, रामपचोदावरम, अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर, अंबासा, बिश्रामगंज, संतिर बाजार,

					गुवाहाटी, अगिया, नागांव, काजलगांव, जोरहाट, सिलचर, दीमापुर, तुरा और ईंटानगर
4.	मसाला बोर्ड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	बोर्ड का प्राथमिक कार्य छोटी और बड़ी इलायची का विकास, मसालों के निर्यात का प्रचार, विकास, विनियमन और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता पर नियंत्रण करना है। मसाला बोर्ड भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान के तहत इलायची (छोटी और बड़ी) पर शोध गतिविधियाँ भी करता है।	कोच्चि, केरल	बैंगलोर, थेनी, तिरुवल्लुर, गंगटोक, गुंटूर, गुवाहाटी, जोधपुर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, हसन, तूतीकोरिन और वारंगल
5.	तंबाकू बोर्ड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	बोर्ड, तम्बाकू उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है। जबकि बोर्ड का प्राथमिक कार्य तम्बाकू और उसके संबद्ध उत्पादों की सभी किस्मों का निर्यात संबंधी संवर्धन करना है। इसके कार्य उत्पादन, वितरण (घरेलू खपत और निर्यात के लिए) और फ़्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ.सी.वी.) तम्बाकू के विनियमन तक विस्तारित करना भी है।	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	ओंगोल, राजमहेंद्रवरम, मैसूर और पेरियापटना
6.	राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	हल्दी की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन और विपणन को बढ़ावा देना, जिससे हल्दी के किसानों की आय में वृद्धि हो सके।	निजामाबाद, तेलंगाना	--
7.	नारियल विकास बोर्ड	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	देश में नारियल उत्पादन और उपयोग के एकीकृत विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसका ध्यान उत्पादकता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर है।	कोच्चि, केरल	बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोयम्बटूर और पटना

8.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.),	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	एकीकृत उच्च तकनीक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/हब विकसित करना, फसलोपरांत और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उच्च तकनीक वाणिज्यिक बागवानी आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना।	गुरुग्राम, हरियाणा	विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, रांची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, ग्वालियर, नवी मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, गंगटोक, चेन्नई, हैदराबाद, बागपत, लखनऊ, वाराणसी, देहरादून और कोलकाता
9.	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करना, उनके संरक्षण, खेती, व्यापार और निर्यात के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करना।	नई दिल्ली	--

******